

अब आर्मेनिया ने भी की नकली दवा की शिकायत

बिजनेस भास्कर ▶ नई दिल्ली...

जांच

आर्मेनिया ने भारत से निर्यात की गई एक डायबिटीज की दवा पर सवाल उठाया है। इसके बाद भारत सरकार ने संबंधित मंत्रालय को इस बारे में जांच पड़ताल करने का आदेश दिया है

फार्मा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार सरकारी संगठन फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर से इस बात की पुष्टि की है

दवा किस कंपनी की है और किसने दवा को मंजूरी दी इस बारे में कोई जानकारी अभी नहीं मिली है

भारतीय जेनरिक दवाओं की गुणवत्ता को लेकर मल्टी नेशनल कंपनियों की ओर से चलाए जा रहे नियोजित दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए आक्रामक रणनीति अपनानी होगी

जेनरिक दवाओं के उत्पादक और निर्यातक के लिहाज से पावरहाउस के तौर पर भारत की छवि दांव पर है। अमेरिकी दवा नियामक की ओर से भारतीय जेनरिक दवा कंपनियों के खिलाफ अपनाए गए कड़े रूख के बाद आर्मेनिया ने भारत सरकार के समक्ष काउंटरफीट (नकली) दवा का मसला उठाया है। आर्मेनिया ने भारत से निर्यात की गई एक डायबिटीज की दवा पर सवाल उठाया है। इसके बाद भारत सरकार ने संबंधित मंत्रालय को इस बारे में जांच पड़ताल करने का आदेश दिया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि आर्मेनिया ने भारत सरकार के समक्ष काउंटरफीट दवा का मसला उठाया है। आर्मेनिया के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आने वाला है। हम इसकी जांच पड़ताल करने के बाद प्रतिनिधिमंडल के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। वहीं फार्मा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार सरकारी संगठन फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (फार्मेक्सिल) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर से इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि हमें आर्मेनिया की ओर से काउंटरफीट दवा का मसला उठाए जाने की जानकारी दो दिन पहले मिली है। सूचना के मुताबिक सिर्फ एक डायबिटीज की दवा को लेकर सवाल उठाया गया है। दवा किस कंपनी की है और किसने दवा को मंजूरी दी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हमने पूरी जानकारी की मांग की है। जानकारी मिलने के दो दिन के अंदर हम इसका वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट भेजेंगे।

अधिकारी के मुताबिक दवा निर्यात के लिहाज से आर्मेनिया का बाजार छोटा है, लेकिन यह हमारे लिए इसलिए अहम है कि हाल में यहां भारतीय दवाओं की स्वीकार्यता बढ़ी है। एक माह पहले हमारा एक प्रतिनिधिमंडल भी आर्मेनिया गया था। हमने वहां के अधिकारियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स से भी मुलाकात थी। इस मसले को सावधानी से सुलझाने की जरूरत है। बिना वेरिफिकेशन के किसी भी दवा पर सवाल उठाना सही नहीं है।

अधिकारी का कहना है कि यूएसएफडीए ने अब तक भारतीय दवा कंपनियों के खिलाफ जो कार्रवाई की है वह गुड मैन्यूफैक्चरिंग प्रैक्टिस (जीएमपी) और डेटा के अनुपालन में कमी को लेकर थी।